District Development and Monitoring Committee for Implementation of Central Sector and Centrally Sponsored Schemes Bill, 2024-Introduced

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to constitute District Development and Monitoring Committees in each district to promote efficient coordination among all elected representatives in Parliament, State Legislatures and Local Government, including the Panchayat Raj Institutions and Municipal Bodies for time bound development of districts through a streamlined model of monitoring and accountability for implementation of Central Sector and Centrally sponsored schemes in each district and for matters connected therewith or incidental thereto.

महोदय, यह दिशा, जो सांसदों की कमेटी होती है, उसको संवैधानिक अधिकार दिलाने का यह प्रस्ताव है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है ।

प्रश्न यह है:

?प्रत्येक जिले में केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन निगरानी और जवाबदेही के एक सुव्यवस्थित मॉडल के माध्यम से जिलों के समयबद्ध विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों सिहत संसद, राज्य विधानमंडलों और स्थानीय सरकारों में सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच कुशल समन्वय को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में जिला विकास और निगरानी सिमितियों के गठन तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित प्रदान की जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, I introduce the Bill.

15.41½ hrs